तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. भंवरलाल बनाम हीराराम 2021/23	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ

पीठासीन अधिकारी

श्री शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

उपस्थिति –

श्री राघवशर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री राकेश द्याल अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :– 22/7/21

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी 1 से 41 की ओर से वकील श्री राघव शर्मा ने पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन हेतु ग्राम बंवाल के खसरा नम्बर 805, 806, 807, 808, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 866, 772, 776, 765, 770, 766, 769, 771, 775, 767, 768, 774, 762, 763, 764, 767/1, 767/3, 773/1 में आवागमन हेतु प्रार्थीगण स्वंय की कब्जा सुदा खातेदारी की भूमि के लिए 15 फुट चौड़ा रास्ता मुख्य कटाणी रास्ते से 806 की पश्चमी सीव व खसरा नम्बर 808, 807, 806 की पूर्वी सीव – सीव दोनो के बीच में से आधा आधा हेतु हुए खसरा नम्बर 794 के दक्षिणी तरफ सीव व खसरा नम्बर 805 की उत्तरी सीव सीव दोनो के आधा आधा होते हुये खसरा नम्बर 794 के बीच में से होते हुये हुये खसरा नम्बर खसरा नम्बर 792 व 796 की सीव पर बीचो बीच आधा होते हुये खसरा नम्बर 797 की पश्चिमी सीमा व खसरा नम्बर 792 की पूर्वी सीव पर आधा आधा होते हुये सरकारी बाले मे से होते हुये खसरा नम्बर 866 के उत्तरी व 777 दक्षिणी सीव के दोनो के मध्य से होते हुये खसरा नम्बर 867 की पूर्वी सीव होते हुये खसरा नम्बर 776 के पूर्वी व खसरा नम्बर 767/1, 770 व 771 के पश्चिमी सीव सीव आधा आधा होते हुये खसरा नम्बर 773/1, 774, 775, व 772, 766 के पूर्वी सीव व पश्चिमी सीव सीव आधा आधा होते हुये खसरा नम्बर 762, 763 व 765 तथा खसरा नम्बर 772 व 776 की उत्तरी व दक्षिणी सीव सीव होते हुये खसरा नम्बर 877 तक रास्ता वर्तमान में चालू है तथा खसरा नम्बर 777 के दक्षिणी सीव पर रास्ता बन्द कर रखा है उक्त रास्ता कायम करवाना चाहते है वर्तमान में आवागमन हेतु किसी प्रकार का कोई रासता उपलब्ध नहीं है उक्त रास्ता वर्तमान में चालू है, तथा रास्ते का नजरी नक्शा परिशिष्ठ "क" साथ संलग्न किया है के मुताबिक धारा 251ए के तहत रास्ता घोषित कर रेकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार परबतसर को इस कार्यालय के पत्रांक 93

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी * परबतसर (नागौर) *

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

दिनांक 03.02.2021 द्वारा मौका कमीश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवायी गई। अप्रार्थी 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश धारू ने वकालतनामा पेश किया है तथा अप्रार्थी 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। तहसीलदार परबतसर ने अपने पत्रांक: 201 दिनांक 22.02.2021 के द्वारा रिपोर्ट तैयार कर पेश की है। जिसको प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने स्वीकार किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत जामाबन्दियो के अनुसार सम्पूर्ण राजीयत प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है, जिसके उपयोग उपभोग हेतु आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है, जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सभी को अपनी सुविधाओं को देखते हुए उक्त रास्ता दर्ज करने हेतु सहमति दी है, तथा मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में रूबरू तैयार की गई जिसमें भी सहमती दी गई है। मजमें आम सही होना स्वीकार किया है तथा सभी खातेदारो ने अपनी – अपनी खातेदारी भूमि से मौका रिपोर्ट में वर्णित अनुसार रास्ते हेतु भूमि दिया जाना स्वीकार किया है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सहमती से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर की रिपोर्ट में वर्णित अनुसार खसरा नम्बर 805, 806, 807, 808, 794, 792, 796, 797, 866, 777 एवं 776, 775, 774, 773/1, 762, 763, 766, 772, 771, 770, 767/3, 767/1, 765 में से रास्ते में प्रस्तावित भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी में से कम कर राजकीय गै.मु. कटाणी रास्ता दर्ज किया जाता है। पक्षकारा आपस में सहमति होने से रास्ते की भूमि के बदले कोई मुआवजा राशि किसी को भी दय नहीं है। मौका रिपोर्ट निर्णय का पार्ट रहेगा।

यह आदेश आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/7/21

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)